



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या :- /जी०सी०ए०ओ०छः/29ए/2003

दिनांक :- 6 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2983/जीसीएओछः/29ए/2003 दिनांक 05.12.2013 एवं 785/जीसीएओछः/29ए/2003 दिनांक 30.03.2015 के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (ट्रान्सको एवं केस्को को सम्मिलित करते हुए) में 60 वर्ष की निर्धारित अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर अधोनामित लेखाकारों को उनके सम्मुख इंगित तिथियों से सेवानिवृत्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नाम/ गृह जनपद	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	तैनाती स्थल/इकाई का नाम
1.	श्री हरि शंकर (इलाहाबाद)	01.01.1956	31.12.2015	परि०ले०का० (पारेषण पूर्व) ट्रान्सको, इलाहाबाद
2.	श्री दिनेश कुमार अस्थाना (जौनपुर)	01.07.1955	30.06.2015	परि०ले०का० (पारेषण पूर्व) ट्रान्सको, इलाहाबाद

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित लेखाकारों को स्तम्भ संख्या-4 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवा निवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके लेखाकारों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवा निवृत्त/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं लेखाकार की विधिक जिम्मेदारी होगी।

नियंत्रक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिक को पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्त होने से पूर्व यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे समय से पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सकें एवं सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण की जाँच समय से करना एवं अदेयता प्रमाण पत्र इत्यादि भी निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाए।

उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

संख्या :- 1303/जी०सी०एओ०छः/29ए/2003 तददिनांक 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप मुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (पारे०पूर्व) उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, इलाहाबाद।
7. सचिव, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन)/(वेतन एवं लेखा)/(मुख्यालय भुगतान), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(एस० के० अवस्थी)

प्री)
प्रशासन)

प्रतिलिपि उप सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखाकारों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जाँच इत्यादि यदि कोई हो तो यथा समय पूर्ण/निर्णय कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे कि लेखाकारों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(एस० के० अवस्थी)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्रशासन)